

उत्तरांचल शासन
निर्वाचन विभाग,
संख्या /25-XXV/2(1)/2005
दिनांक: देहरादून: 5 अक्टूबर, 2005

कार्यालय ज्ञापन office order.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या-22) की धारा 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल निर्वाचन विभाग में निम्न विवरणानुसार लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी का विन्हित कर नामित किया जाता है:-

क्र०सं०	विभाग	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1.	निर्वाचन विभाग	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	—	सचिव, निर्वाचन, उत्तरांचल शासन

उक्त अधिकारियों को इन कार्यों हेतु पृथक से कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।

(एन० रवि शंकर)
सचिव

पू० संख्या 5561 (1)/25-XXV/2(1)/2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, सूचना, उत्तरांचल शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. संबंधित अधिकारीगण।
5. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरांचल।
9. कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,
N. Ran Shant
(एन० रवि शंकर)
सचिव